तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./2873/2024/नीमकाथाना गणपतलाल व अन्य बनाम रामचन्द्र वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30-5-2024	**एकल–पीठ** **श्री भंवर सिंह सान्दू, सदस्य** **उपस्थितः** श्री धर्मेन्द्र सिंह टांक अधिवक्ता प्रार्थीगण। –––– **आदेश** यह निगरानी अन्तर्गत धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर द्वारा प्रकरण सं0 50/2024 में पारित आदेश दिनांक 03–4–2024 के विरूद्ध पेश की गई है। 2– आलोच्य आदेश द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र पर आदेश देने से पूर्व परीक्षण न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन करना एवं प्रत्यर्थीगण को सुना जाना उचित समझा है। 3– हमनें विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस निगरानी के एडमीशन एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनी। 4– विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में तर्क प्रस्तुत किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष धारा 251–ए आरटीएक्ट के तहत् वर्तमान प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी में से रास्ता दिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसमें विचारण न्यायालय द्वारा बिना प्रार्थीगण का जवाब लिये एवं बिना कोई नोटिस दिये उनकी अनुपस्थिति में बिना मौके पर जाये मात्र कार्यालय में बैठकर एक तथाकथित एकपक्षीय मौका रिपोर्ट के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र पेश की गई थी। अपीलीय न्यायालय का यह कर्त्तव्य था कि पक्षकारों के मध्य कोई लड़ाई झगड़ा आदि ना हो, वादग्रस्त आराजी की सुरक्षा हेतु प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र पर काई ठोस आदेश पारित करते। अपीलीय न्यायालय द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना एवं अस्वीकार का आज्ञापक	७ वा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./2873/2024/नीमकाथाना गणपतलाल व अन्य बनाम रामचन्द्र वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	था। अपीलीय न्यायालय ने स्थगन प्रार्थना पत्र कोई आदेश पारित नहीं कर अप्रार्थी सं0 1 से 4 को उनकी खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी में से जबरन उन्हें बेदखल कर रास्ता निकालने की खुली छूट प्रदान कर दी है। उनका कथन है कि माननीय उच्चतर न्यायालयों ने अपने अनेकानेक निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार का निर्णय करने से पूर्व उक्त निर्णय अथवा आदेश पारित करने के सम्पूर्ण कारण निर्णय में अंकित करने चाहिए। अपीलीय न्यायालय ने स्थगन प्रार्थना पत्र पर बिना कारण दर्शाये आक्षेपित आदेश पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर अपीलीय न्यायालय का आदेश दिनांक 03–4–2024 खारिज किया जावे तथा अपीलीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन अपील के साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने के आदेश पारित किये जावें। 4– हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशां का अवलोकन किया। 5– पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16–10–2023 के द्वारा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251–ए आरटीएक्ट स्वीकार कर रास्ता दिये जाने का आदेश दिया गया था। उक्त निर्णय 16–10–2023 के विरूद्ध भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर के समक्ष दिनांक 03–4–2024 प्रथम अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अपीलीय न्यायालय ने अपील दर्ज रजिस्टर कर धारा 5 मियाद अधिनियम के बिन्दु को सुरक्षित रखते हुए आक्षेपित आदेश दिनांक 03–4–2024 पारित किया है, वह निम्नानुसार है :–	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./2873/2024/नीमकाथाना गणपतलाल व अन्य बनाम रामचन्द्र वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	''अपील दर्ज रजिस्टर हो। धारा 5 पर निर्णय सुरक्षित रखा जाता है। स्थगन पर वकील अपीलांट को सुना गया। प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए इस स्तर पर स्थगन दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। रेस्पोर्डेंट के रजिस्टर्ड नोटिस जारी हो। तहत का रिकार्ड तलब हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 01–5–2024 को पेश हो '' 7– प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र पर कोई आदेश पारित करने से पूर्व समस्त विपक्षीगण एवं परीक्षण न्यायालय के रिकार्ड का अवलोकन करना उचित पाया है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपीलीय न्याायलय ने अपने स्वविवेक का इस्तेमाल करते हुए धारा 5 मियाद अधिनियम पर निर्णय सुरक्षित रखे हुए स्थगन पर कोई पारित करने से पूर्व रिकार्ड का अवलोकन करना उचित समझा है। अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त आक्षेपित आदेश, एक अन्तरिम आदेश है, जो केस डिसाईडेड की श्रेणी में नहीं आता है। मियाद बाहर प्रस्तुत किये गये प्रकरण में सर्वप्रथम धारा 5 पर निर्णय करना आवश्यक होता है। अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित करने में ऐसी कोई विधिक त्रुटि नही की है जिसमें निगरानी के जरिये आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप किया जावे। अतः उक्त अन्तरिम आदेश दिनांक 03–4–2024 के विरूद्ध निगरानी मण्डल में पोषणीय नहीं है। 8– परिणामतः निगरानी एडमीशन स्तर पर ही खारिज की जाती है। 12– आदेश की प्रति के अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे तथा मण्डल की पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही पंजीबद्ध कर अभिलेखागार में जमा कराई जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(भंवर सिंह सान्दू)** **सदस्य**	